न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : प्रा०पत्र 14(क) नरवाला बनाम भागचन्द
ज. 01/2017

कार्यवाही / आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27-3-18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय ~~पक्षकान~~ उपा। प्रार्थनापत्र 14(क) अस्वीकार किया जाकर ड्रोप किया जाता है। प्रार्थी तहसीलदार, चाकसू को वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में कोई उज्र है तो सक्षम अधिकार न्यायालय में चाराजोई करे। विस्तृत निर्णय लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	

न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर, (द्वितीय) जयपुर।

प्रार्थना–पत्र 14(4) संख्या : 1/2017

सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

भागचन्द पुत्र मिलापचन्द, जाति–जैन, निवासी–कस्बा चाकसू, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर ।

अप्रार्थी,

(प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 विरूद्ध आंवटन आदेश दिनांक 04.06.1972 उप खण्ड अधिकारी, जयपुर बहक भागचन्द पुत्र मिलापचन्द, वाकै ग्राम भूरटिया कलां आ0ख0न0 84/1/1 में से 8 बीघा को निरस्त करने)

उपस्थितिः–

1. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।
2. श्री एन.एल. शर्मा, अभिभाषक, अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांकः–27.03.2018

ग्राम–भूरटियां कलां की साबिका आराजी खसरा नं. 84/1/1 रकबा 8 बीघा भागचन्द पुत्र मिलापचन्द, जाति–जैन, निवासी कस्बा–चाकसू, को दि. 4.6.1972 को आवंटित की गई है। जिसके विरूद्ध तहसीलदार, चाकसू ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर आवंटन को निरस्त करने की इस्तदुआ की है।

उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कराया जाकर नोटिस अप्रार्थी जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक हाजिर आये और जवाब प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पेश किया, जो शामिल मिसल है।

उभय–पक्षो की बहस सुनी गई है विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर का कथन है कि ग्राम भूरटियां कलां, तहसील–चाकसू की साबिका आराजी खसरा नं. 84/1/1 में से 8 बीघा आराजी कृषि कार्य हेतु अप्रार्थी को दिनांक 04.06.1972 को आंवटित की गई है, जिसके हाल ख0न0 495 रकबा 1.73 हे0, ख0न0 496 रकबा 3.00 हे0, ख0न0 497 रकबा 0.08 हे0, ख0न0 498 रकबा 0.11

हे0, ख0न0 499 रकबा 0.05 हे0, ख0न0 553 रकबा 0.03 हे0, ख0न0 554 रकबा 0.21 हे0 कुल किता 07 रकबा 5.21 हे0 है। आंवटन सलाहकार समिति द्वारा आंवटित वादग्रस्त आराजी को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम, 1970 के नियम 4(1) के प्रावधानों के विपरीत आंवटित की है। राजस्व रिकार्ड से मौका निरीक्षण किये जाने पर पटवारी ने आंवटित आराजी को बहाव क्षेत्र में होना बताया है। आंवटित भूमि गै0मु0 खारड़ा है और नालों के रूप में है जो वर्षा के समय पानी का बहाव होता है इस आराजी पर आवंटन के पश्चात् कभी भी अप्रार्थी का कब्जा काश्त नही रहा है वर्तमान में भी सिवायचक राजकीय खाते में दर्ज है भूमि की किस्म गै0मु0 है। आंवटन के पश्चात् अप्रार्थी द्वारा आंवटन की शर्तों की पालना नही की गई है। उप खण्ड अधिकारी, चाकसू की आज्ञा एवं डिक्री दिनांक 13.06.2016 द्वारा अप्रार्थी को जो खातेदार काश्तकार घोषित किया है वह अवैध रूप से धोषित किया गया है जिसके विरूद्ध विधिक प्रावधानों के अनुसार सक्षम न्यायालय में चाराजोई होनी है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन आज्ञा दिनांक 04.06.1972 निरस्त फरमाई जावे।

अप्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक श्री एन0एल0 शर्मा का कथन है कि वादग्रस्त आराजी का आंवन्टी को सक्षम न्यायालय द्वारा नियमित वाद में जरिये आज्ञा दिनांक 13.06.2016 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर आवंन्टी के हक में दिनांक 13.06.2016 को डिक्री पारित की है। जिसको किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है। नियमित वाद में तहसीलदार ने जवाब पेश कर वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी को आवंटित होना स्वीकार किया है। तहसीलदार अपने जवाब से एस्टोप्ड है। उप खण्ड अधिकारी, चाकसू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2016 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत हैं जिसमें प्रार्थी–तहसीलदार भी पक्षकार है ऐसी स्थिति में एक ही आराजी के संबंध में दो राजस्व न्यायालयों में चुनौती नही दी जा सकती है अर्थात जब वादग्रस्त आराजी के संबंध में नियमित वाद में पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील जैरकार है और तहसीलदार उसमें पक्षकार है तो इस संबंध में कोई आपत्ति है तो प्रार्थी–तहसीलदार अपील में अपना पक्ष प्रस्तुत कर कानूनी दादरसी प्राप्त कर सकता है। वादग्रस्त आराजी का आवंटी को विवादित वाद में खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के पश्चात् दुष्प्रेरणा से एवं आंवटन की एक दीर्घ अवधि के पश्चात् प्रार्थना पत्र 14(4) प्रस्तुत किया गया है, जो पोषणीय नही

होने के कारण खारिज फरमाया जावें। वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा–काश्त है। पटवारी हल्का ने जो बहाव क्षैत्र होने की रिपोर्ट की है, वह मिथ्या है। नियमित वाद में बहाव क्षेत्र होने की कोई आपत्ति दर्ज नही की है। नियमित वाद में आंवन्टी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जा चुका है और इस संबंध में नियमित वाद के विरूद्ध जैरकार अपील में प्रार्थी–तहसीलदार नियमानुसार यदि कोई दादरसी प्राप्त करने का हकदार अपने को पाता है, तो प्रार्थी–तहसीलदार को अपीलेट न्यायालय मे चाराजोई की जानी चाहिए अतः अप्रार्थी का प्रारम्भिक आपत्ति जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र 14(4) अस्वीकार फरमाया जावें।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त बहस अप्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक श्री एन.एल. शर्मा ने विद्वान् राजकीय अभिभाषक की बहस का खण्डन कर वादग्रस्त आराजी का आंवटी भागचन्द पुत्र श्री मिलापचन्द, जाति–जैन, निवासी कस्बा चाकसू को नियमित वाद में सक्षम न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, चाकसू के निर्णय दिनांक 13.06.2016 द्वारा खातेदार–काश्तकार धोषित किया जाकर आंवटी के हक में दिनांक 13.06.2016 को डिक्री जारी की है। अप्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक के कथन की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2016 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, चाकसू बमिसल संख्या 129/2013 उनवानी भागचन्द बनाम राजस्थान सरकार जिसके द्वारा आंवटी को नियमित वाद में वादग्रस्त आराजी का खातेदार–काश्तकार धोषित किया जाकर आंवटी के हक में राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये जाकर डिक्री जारी की है, से होती है। वरवक्त बहस अप्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक का यह भी कथन रहा है कि नियमित वाद में जारी निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2016 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर में अपील जैरकार है, जिसमें तहसीलदार पक्षकार है। पत्रावली में उपलब्ध नकल आदेशिका बमिसल 732/2016 उनवानी अमित मावर बनाम भागचन्द के अवलोकन से जाहिर होता है कि उप खण्ड अधिकारी, चाकसू द्वारा नियमित वाद में पारित आज्ञा व डिक्री दिनांक 13.06.2016 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर में अपील प्रस्तुत हुई है। पत्रावली में ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य नही है, जिससे यह जाहिर हो कि नियमित वाद द्वारा आंवटी भागचन्द को दी गई खातेदारी को अपीलेट न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया हो। ऐसी स्थिति में जबकि नियमित वाद में सक्षम न्यायालय

द्वारा आवंटी को वादग्रस्त आराजी की खातेदारी दी गई हो और इसके विरूद्ध अपील सक्षम न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर में अपील प्रस्तुत हुई हो और तहसीलदार पक्षकार हो तो वादग्रस्त आराजी के संबंध में दो भिन्न–भिन्न राजस्व न्यायालयों द्वारा सुनवाई किया जाना न्यायोचित नही होगा । विचारण न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर का अपीलेट न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी है और वादग्रस्त आराजी के संबंध में नियमित वाद में पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर में अपील प्रस्तुत किया जाना पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध है। उप खण्ड अधिकारी, चाकसू द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में पारित आज्ञा व डिक्री दिनांक 13.06.2016 अपीलेबल होने से व विचारण न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी का अधिनस्थ न्यायालय होने से वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रार्थना पत्र 14(4) पर सुनवाई किया जाना न्याय–संगत नही पाते है। अतः उक्त विवेचनानुसार अस्वीकार किया जाकर ड्रोप किया जाता है। प्रार्थी तहसीलदार चाकसू को वादग्रस्त आराजी के संबंध में कोई उज्र हो तो सक्षम अपीलेट न्यायालय में चाराजोई करें।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर